



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1943 (श10)
(सं0 पटना 825) पटना, वृहस्पतिवार, 30 सितम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2021

अधिसूचना संख्या 06/2021-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 136, दिनांक 30 सितम्बर 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, उपवाक्य (छ) में, शब्द, अंक, अक्षर और संकेत "आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "की धारा 12कक या 12कख" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 17 में,-

- 1) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 2) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) बौद्धिक संपदा(आईपी) अधिकार का अस्थायी या स्थायी हस्तांतरण या उसके उपयोग की अनुमति।	9	-";

(ग) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

- 1) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (iग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iगक) मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं	9	-";

- 2) मद (iघ) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख) और (iग)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग) और (iगक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 3) मद (iv) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (ii), (iiक), और (iii)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग), (iगक), (iघ), (ii), (iiक), और (iii)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 27 के समक्ष,-

- 1) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 2) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनरुत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं	9	-";

(इ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में मद (iii) और (iii)क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं; (क) थीम पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्स, मेरी-गो राउंड, गो कार्टिंग की सुविधा हो, या (ख) बैले, - अन्य स्थान जो कि नीचे (iii)क में कवर नहीं किए गए हैं	9	-
(iii)क निम्नलिखित में प्रवेश के रूप में सेवाएं - (क) कैसीनो या रेस क्लब या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस क्लब की सुविधा हो या (ख) खेल समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग	14	-"

(च) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची I, क्र. सं. 234" के स्थान पर, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची II, क्र. सं. 201क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) 'अनुबंध: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना' में, क्रम संख्या 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"118क"	समूह 99654		भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन
118ख		996541	भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन "

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 2017/21-(खंड-13)06)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

30 सितम्बर 2021

एस० ओ०. 136, दिनांक 30 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)06)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2021

Notification No. 06 /2021- State Tax (Rate)

S.O. 136, dated 30th September 2021—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

- (a) against serial number 3, in column (3), in item (iv), in clause (g), after the figures and letters “12AA”, word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;
- (b) in serial number 17, -
- (A) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;
- (B) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right.	9	”;

(c) against serial number 26, in column (3), -

- (A) after item (ic) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(ica) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption	9	”;

- (B) in item (id), for the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib) and (ic)”, the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic) and (ica)” shall be substituted;
- (C) in item (iv), for the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic), (id), (ii), (iia) and (iii)”, the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic), (ica), (id), (ii), (iia) and (iii)” shall be substituted;
- (d) against serial number 27,-
- (A) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;
- (B) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; material recovery services	9	-”;

- (e) against serial number 34, for items(iii) and (iiia) and the entries relating thereto in columns (3),(4) and (5),following items and entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services by way of admission to; (a) theme parks, water parks and any other place having joy rides, merry-go rounds, go carting, or (b) ballet, - other than any place covered by (iiia) below	9	-
(iiia) Services by way of admission to (a) casinos or race clubs or any place having casinos or race clubs or(b)sporting events like Indian Premier League.	14	-”;

- (f) against serial number 38, in column (3), in Explanation, for the figures, words and letter “ 234 of Schedule I”, the figures, letter and words “ 201A of Schedule II” shall be substituted;
- (ii) in the “Annexure: Scheme of Classification of Services”, after serial number 118 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“118a	Group 99654		Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India
118b		996541	Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 06)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 825-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

IndiaCode